कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर छ0ग0

दूरभाष क्रमांक 07868–223679, फैक्स क्रमांक 07868–241491 ई–मेल– kanker.court@nic.in

//दावा आपत्ति का निराकरण//

क्रमांक–1569/दो–5–1/2026 **कांकेर, दिनांक 27.11.2026**

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) का विज्ञापन कमांक 841/दो–5–1/2026(92 ए) कांकेर दिनांक 22.07.2026 जारी कर इस कार्यालय हेतु तृतीय श्रेणी कर्मचारी सहायक ग्रेड–03 (संवर्ग) के 07 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु दिनांक 29.11.2026 को कौशल परीक्षा आयोजित किया जाना है।

कार्यालय में उपस्थित हो कर तथा कार्यालय के ई–मेल आईडी **kanker.court@nic.in** में अभर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए है, जिनका निराकरण निम्नानुसार किया गया है:–

आवेदकः–

01. शीतल कुमार :– आप के द्वारा कौशल परीक्षा हेतु जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन कमांक 1537 दिनांक 25.11.2026 के योग्य अभ्यर्थियों की सूची में सामान्य वर्ग से न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक होने से सूची में शामिल नही किये जाने से उक्त सूची में प्राप्तांक के आधार पर शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

कौशल परीक्षा से संबंधित अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों की संशोधित वरीयता सूची कार्यालय ज्ञापन कमांक क/2026 दिनांक 25.11.2026 को कार्यालय द्वारा अपलोड किया गया है, उक्त सूची के अनुसार आप कौशल परीक्षा में योग्य पाये गये है।

02. एचडीदेवांगन11:– आप के द्वारा कौशल परीक्षा हेतु जारी संशोधित वरीयता सूची अनारक्षित, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति में आरक्षण एवं ओपन मेरिट नियमों के संबंध में सामूहिक दावा–आपत्ति अभ्यावेदन जिसमें समस्त प्रभावी अभ्यर्थीगण, उत्तर बस्तर कांकेर लिखा हुआ प्रस्तुत किया गया है,।

आप के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समस्त अभ्यर्थीगणों का हस्ताक्षर नही है। आपके द्वारा अपने आवेदन में स्वंय का अनुकमांक, एवं नाम आदि अंकित नही किया गया है, जिससे यह प्रकट नही हो रहा है कि आप अभ्यर्थी है। आप के द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह भी यह स्पष्ट नही किया गया है कि आप स्वंय परीक्षा से किस प्रकार से प्रभावित हुये है। अतः आपके आवेदन में उक्त खामी होने से आवेदन पत्र पर विचार नही किया जा रहा है।

03. **खुशबु सिन्हा,** रोल नं. AG03–24:–

04. **धर्मेन्द्र सोनी,** रोल नं. AG03–2515:– (दो आवेदन)

05. **चंचल साहू, रोल नं.1210:–**

06. **चेतन राम नाविक, रोल नं.227:–**

07. **शेखर सोनी, रोल नं.1697:–**

सरल कमांक 03 एवं 04 दोनो अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा अपने अंको के आधार कौशल परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों में शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आप दोनों के आवेदन पर विचार किया गया है। छत्तीसगढ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम 2023 के भाग–03 ''भर्ती'' नियम 06– भर्ती का तरीका के अनुसार अनुसूची–01 एवं अनुसूची–02 में दर्शित पदों हेतु प्रतियोगी लिखित परीक्षा उपरांत कौशल परीक्षा तथा/अथवा साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती की जायेगी।

माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा सम्माननीय न्यायदृष्टांत **महेश कुमार विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ** Natural Citations 2025 CGHC 18997-DB, WA No. 272 of 2025 के मामले में सम्माननीय न्यायदृष्टांत इन्द्रा साहिनी विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [1999 Supp.(3) SCC 217], दीपेन्द्र यादव एवं अन्य विरूद्ध स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश एवं अन्य [(2024) SCC OnLine 724], पुष्पेन्द्र कुमार पटेल वगैरह विरूद्ध हाई कोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश 2023 SCC OnLine MP 12, सौरव यादव वगैरह विरूद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. वगैरह [2021 (4) SCC 542] आदि सम्मानीय न्यायदृष्टांतों पर विचार करने के उपरांत यह अवधारित किया है कि सहायक ग्रेड-3 की भर्ती परीक्षा हेतु 50 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रथम चरण की परीक्षा, आगामी चरण के कौशल परीक्षा हेतु केवल पात्र अभ्यर्थियों के शार्ट लिस्टिंग एवं स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है। उक्त परीक्षा का उद्देश्य केवल कौशल परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों को आईडेंटीफाई करना है, जिसमें वर्टीकल रिजर्वेशन की प्रक्रिया लागू किया जाना आवश्यक नहीं है।

उक्त सम्माननीय न्यायदृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि इस स्थापना द्वारा भी सीधी भर्ती हेतु आयोजित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों के Short Listing हेतु अपनाई गई Screening प्रकिया थी, जिसमें प्रत्येक वर्ग के अनुसार 01 पद पर 15 के अनुपात में अभ्यर्थियों को एवं अंतिम अभ्यर्थी के सामान अंक होने से उन सभी अभ्यर्थियों को उनके वर्ग के अनुसार बुलाया गया है।

कौशल परीक्षा के परिणाम में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार आप के आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया है।

08. rg4085459@gmaol.com.,रोल नं.1029:– अनारक्षित वर्ग के कौशल परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता सूची में नाम होना तत्पश्चात संशोधित वरीयता सूची में नाम नही होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस कार्यालय के सहायक ग्रेड–03 के कौशल परीक्षा हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची क्रमांक क/1537/दो–5–1/2026 दिनांक 25.11.2026 को अपलोड किया गया था जिसमें कौशल परीक्षा हेतु योग्य पाये गये अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियो की सूची तकनीकी त्रुटिवश अशुद्ध रूप से अपलोड हो गई थी, जिसमें से अनारक्षित अभ्यर्थियों की वरियता सूची को निरस्त किया गया है तथा अनारक्षित वर्ग के कौशल परीक्षा हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की संशोधित सूची जारी की गई है।

09. द्वारका राम निषाद, रोल नं.3757:– आप के द्वारा भूतपूर्व सैनिक होने से कौशल परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए लिस्ट में नाम जोड़ने का निवेदन किया गया है।

अनारक्षित वर्ग के चार पद हेतु विज्ञापन अनुसार 01 पद पर 15 के अनुपात में 60 अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग उपरांत कौशल परीक्षा हेतु पात्र पाया गया है जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी सम्मिलित है, आप का अंक कम होने से आपकी पात्रता नही बनती है।

10. विष्णु कुमार, रोल नं.82:– आप के द्वारा अपने उत्तर पुस्तिकों को पुनर्मूल्यांकन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उत्तर पुस्तिका का अवलोकन किया गया जिसमें आप के अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन नही है।

11. खुशबुठाकुर637, रोल न.–2577:–(दो आवेदन)

12. धन्श्याम प्रसाद:–

13. सुनील कुमार देवांगन:– (दो आवेदन)

अतः सरल क्रमांक 09 से 11 के आवेदकों के द्वारा इस स्थापना द्वारा निर्धारित किये गये कौशल परीक्षा तिथि दिनांक 29.11.2026 के स्थान पर अन्य तिथि दिये जाने का निवेदन किया गया है जिसे विचारोपरांत निरस्त करते हुए निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नही किया जा रहा है।

यदि कौशल परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन या निर्णय लिया जाता है तो कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी।

27-11-2026

अध्यक्ष
चयन समिति
कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)